वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-111/2015/914/एक-5-2015-34/2011 टी0सी0

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : : दिनांक 03 जुलाई, 2015**

विषयः-जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा के आवासीय भवनों निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अवशेष अन्तर धनराशि की अवमुक्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-3378/12-(भवन)-47/2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-2336/एक-5-2011-34/2011, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 174.46 लाख के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-1362/एक-5-2012-34/2011, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 75.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-820/एक-5-2013-34/2011, दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में 74.46 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अनुमोदित लागत रू0 174.46 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 403.08 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अन्तर की धनराशि रू0 228.62 लाख (रूपये दो करोड़ अठठाईस लाख बासठ हजार मात्र) अवमुक्त कर उक्त प्रयोजन हेतु व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि न तो स्वीकृत की गयी और न ही अन्य किसी योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) शेष शर्तें मूल शासनादेश के अनुसार यथावत् रहेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-3-1840/दस-2014-100(4)/2002-ब0मै0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या-111/2015/914/एक-5-2015-34/2011 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, महराजगंज।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।